सं0 सं014/विविध–17/14

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

219(14)
20/2/15

संकल्प

विषयः– उग्रवादियों/माओवादियों/अपराधियों के साथ मुठभेड़, बम बिस्फोट, लैण्डमाइन्स ब्लास्ट आदि में गम्भीर रूप से घायल हुए पुलिस कर्मियों के गैर सरकारी/गैर **C.G.H.S** / निजी अस्पतालों में कराई गयी चिकित्सा पर हुये वास्तविक चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति।

राज्यांतर्गत् उग्रवादियों/माओवादियों/अपराधिओं के साथ मुठभेड़/ बम–ब्लासट / लैण्डमाइन्स विस्फोट में गंभीर रूप से घायल पुलिस कर्मियों की चिकित्सा ''विशेष बाध्यकारी स्थिति में गैर–मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में भी प्राणरक्षार्थ करवाने की बाध्यता होती है। गैर–सरकारी/गैर **C.G.H.S** मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपरोक्त बाध्यकारी परिस्थिति में करवायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में प्रावधान नहीं रहने के कारण अतिशय कठिनाई होती है।

अतः समयक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्न प्रावधान किये गये है।

2. उग्रवादियो/ माओवादियो /अपराधियों के साथ मुठभेड़ / बम–विस्फोट /लैंड माइन्स विस्फोट आदि में गंभीर रूप से घायल पुलिस कर्मियों के गैर सरकारी/गैर **C.G.H.S** /निजी अस्पतालों में कराई गई चिकित्सा पर हुई वास्तविक व्यय राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
3. चिकित्सा पर हुई वास्तविक व्यय की अधिकतम सीमा रू0 10,00,000/–(दस लाख) निर्धारित किया जाता है। विदेश में करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नही होगी। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार को निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा से अधिक राशि की स्वीकृति का अधिकार रहेगा।
4. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0–1070(14) दिनांक 20.05.2006 एवं 1182(14) दिनांक– 02.06. 2006 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(सुरेश कुमार शर्मा) 19/2/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 219(14) पटना, दिनांक 20/2/15

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

19/2/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 219(14) पटना, दिनांक 20/2/15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला एवं सचिवालय सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/गृह विभाग बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी प्रमड़लीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/सभी वरीये आरक्षी अधीक्षक, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

d sankalp Ghaikarmi